झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

905
26/05/2012

अधिसूचना

राँची, झारखण्ड, ...,2012

संख्या. स0.को0-10/2010......................./ चूकिं झारखण्ड राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉ विद्यमान है, जिसके कारण झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में आगे दी गई रीति से संशोधन के लिए कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है, अतः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

(1) यह नियमावली झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **''झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (अधिसूचना संख्या 1291, दिनांक 11.05.2011) के नियम- 7 के उप-नियम-1 को विलोपित करते हुए उसे निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-**

7(1). निःशुल्क शिक्षा अन्तर्गत बच्चों को निम्नवत् सुविधायें प्राप्त होंगी-

क. अधिनियम की धाराओं के अनुरूप विद्यालय में उपस्थित होने वाले बच्चे, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार निःशुल्क शिक्षा के लिये हकदार होंगे।

ख. सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8) में अध्ययनरत् बच्चे एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) के प्रावधानों स्वरूप गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चे निःशुल्क

पाठ्य-पुस्तक के हकदार होंगे। परन्तु कि निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे निःशुल्क सहायक सामग्री के भी हकदार होंगे।

ग. सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8) में अध्ययनरत् बच्चे एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) के प्रावधानों स्वरूप गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चे निःशुल्क पोशाक के हकदार होंगे। ''

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26/5/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-स0को0-10/2010 905 राँची, दिनांक 26/05/2012

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

26/5/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-स0को0-10/2010 905 राँची, दिनांक 26/05/2012

प्रतिलिपि : झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, झारखण्ड/ सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/ सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/ सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/5/2012

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-स0को0-10/2010 905 राँची, दिनांक 26/05/2012

प्रतिलिपि : महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/5/2012

सरकार के प्रधान सचिव।